कानून एवं महिला संरक्षण

वर्ष 2018-19

(डॉ. ज्योति सक्सैना)
सहायक प्रध्यापक
कैरियर कॉलेज ऑफ लॉ
बी. एच. ई. एल. भोपाल

कानून एवं महिला संरक्षण :

कानून द्वारा महिला संरक्षण से यह तात्पर्य है कि भारत में महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदाय किया जाये तथा उनके साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जाए और यदि ऐसा किया जाता है तो उसे विधि की सहायता से निरस्त किया जा सके।

(संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 15)

संरक्षण से यह अर्थ निकाला जाता है कि विधि अनुसार महिलाओं के अधिकारों को दिलवाया जाए। संपत्ति के अधिकार में पहले भारतीय हिंदू महिलाओं को केवल उपयोग और उपभोग का अधिकार उपलब्ध था पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत यह परिवर्तन कर दिया है कि महिलाएँ अपनी संपत्ति की पूर्ण रूप से मालिक बना दी गई हैं तथा महिला व पुरूष में किसी भी प्रकार से अंतर नहीं रखा गया है तथा सन 2006 में यह भी संशोधन किया गया कि अब पैतृक संपत्ति में भी महिलाओं को वही अधिकार प्राप्त हैं जो पुरूषों को प्राप्त हैं।

महिलाओं को संसद विधानसभा , नगर निगम एवं स्थानीय प्रशासन से संबंधित संस्थानों में आरक्षण का प्रस्ताव अधिनियम बनाने के कगार पर है जिसके अनुसार 33 प्रतिशत आवश्यक आरक्षण प्रदान किया जा सकेगा जो उन्हें सुअवसर प्रदान करेगा कि वे जनता का प्रतिनिधि बनकर देश व समाज की सेवा कर सकेगी।

संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में अध्याय तीन में स्पष्ट प्रवधान किये गये हैं कि महिलाओं के साथ समता का व्यवहार किया जायेगा। समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जायेगा तथा लिंग के आधार पर किसी भी सुअवसर से उन्हें वंचित नहीं किया जायेगा।

भविष्य में दिशा निर्देश के रूप में अध्याय 4 में कई ऐसे प्रावधान किये गये हैं जो नौकरी, फेक्ट्री कार्य के लिये घंटे, वेतन तथा सुविधाएँ शिक्षा भरण पोषण तथा कार्य के संबंध में दी गई है। यही कारण है कि विधि के संरक्षण पर थल, जल, तथा वायु सेना में अपना वर्चस्व निभा रही हैं।

महिलाओं को संरक्षण प्रदान करनें में भारतीय दंड संहिता 1860 में कई संशोधन किये गये हैं जिसके फलस्वरूप दहेज प्रथा, सती प्रथा, बलात्कार छेड छाड तथा अन्य अपराधों से महिलाओं को बचाने के लिये विधि का संरक्षण प्रदान किया गया है। उदाहरण के तौर पर आई.पी.सी. की धारा 494 के अंतर्गत द्वि विवाह को अपराध घोषित किया गया है तथा एक पति और एक पत्नि के सिद्वांत को विधि द्वारा मान्यता दी गई है। इसी प्रकार 498–ए में तथा 304–बी में दहेज को लेकर यदि महिला के पति के

रिश्तेदारों द्वारा यदि निर्दयता का व्यवहार किया जाता है और उसके फलस्वरूप यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो पति के रिश्तेदारों को गिरफतार किया जा सकता है।

विधि के द्वारा कानून परिवर्तन यह भी किया गया है िकवह अपने बच्चे की संरक्षण कर सकती है तथा महिलाओं को भी बच्चे गोद लेने की विधि द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। महिला की सहमति के बिना गर्भपात नहीं कराया जा सकता है। तथा आई.पी.सी. की धारा में यदि गर्भपात कराया जाता अथवा बच्चे के लिंग का पता लगाने के लिये यदि सोनोंग्राफी करायी जाती है तो डॉ. को और सानोंग्राफी कराने वाले को दोनों को ही दंड मिलेगा। इस प्रकार विधि द्वारा संरक्षण किया गया है तकि वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सके।

आई.पी.सी. 504 से 508 तक में यह प्रावधान किये गये हैं कि यदि महिलाओं से र्दुव्यवहार किया जाता है या उनसे अश्लील हरकतें यदि की जाती हैं तो विधि द्वारा अपराधियों को सजा दी जायेगी। सी.आर. पी.सी. 1973 की धारा 128 में महिलाओं के भरण पोषण के लिये सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। भरण पोषण की राशि जो पूर्व में 500 रूपये थी उसे बढाकर 3000 रूपये कर दी गई है इस प्रकार पारिवारिक समस्याओं के लिये अलग से न्यायालय बनाकर विधि द्वारा यह सुविधायें दी गई हैं कि बिना वकिल करने की भी सुविधा नहीं है तो सरकार द्वारा उन्हें विधिक सहायता प्रदान की जा सकती है।

हमनें अपने अध्ययन में कुछ प्रश्न तैयार कर पाये है कि ÷

01. प्राचीन भारत में महिलाओं को विधि का संरक्षण यदि था तो वह किस प्रकार का –

सीनियर सिटिजन	विवाहित महिलाएँ	अविवाहित लडके व लडकियां	शिक्षित महिलाएँ	अशिक्षित महिलाएँ
40 प्रतिशत	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत
प्राचीन भारत में महिलाओं को विधि का संरक्षण प्राप्त नहीं था। सामाजिक नियम व मर्यादा बंधनकारी थे।	प्राचीन भारत में देवी को नारी के समना माना गया था। आदर व सम्मान दिया जाता था।	नारी को घर की लक्ष्मी माना जाता था तथा नारियों की पूजा की जाती थी।	प्राचीन भारत में महिलाओं को विधि का अधिकार प्राप्त था तथा जो शिक्षित महिलाएँ थीं उन्हें अपने अधिकर का ज्ञान था।	नारी को पुरूष की अर्धांग्नी माना गया था।

02. महिलाओं को संरक्षण देकर यदि महिलाओं का हित हुआ है तो किस प्रकार –

सीनियर सिटिजन	विवाहित महिलाएँ	अविवाहित लडके व लडकियां	शिक्षित महिलाएँ	अशिक्षित महिलाएँ
30 प्रतिशत	10 प्रतिशत	20 प्रतिशत	25 प्रतिशत	15 प्रतिशत
महिलाओं को दंड प्रक्रिया संहिता में भरण पोषण का अधिकार दिया गया था।	महिलाओं के हित में कई प्रकार के संरक्षण विधि व विधान में दिये गये थे।	भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार प्राप्त है।	संपत्ति में भी महिलाओं को मूलभूत अधिकार दिये गये थे।	उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त है।

03. परिवार में भेदभाव की निति का बच्चों पर क्या प्रभाव पडता है –

सीनियर सिटिजन	विवाहित महिलाएँ	अविवाहित लडके व लडकियां	शिक्षित महिलाएँ	अशिक्षित महिलाएँ
50 प्रतिशत	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत
जिससे परिवार में भेदभाव से आपसी सामंजस्य एवं सौहार्द कम होता है। अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है।	भेदभाव की निति से परिवार पर विपरित प्रभाव पडता है।	मानसिक विकास पर प्रभाव पडता है।	प्रतिस्पर्धा की वृद्धि होती है।	मनसिक तथा बौद्धिक स्तर पर प्रभाव पडता है।

04. क्या वर्तमान में विधि का संरक्षण महिलाओं के लिए काफी है अथवा इससे अधिक की अवश्यकता है –

सीनियर सिटिजन	विवाहित महिलाएँ	अविवाहित लडके व लडकियां	शिक्षित महिलाएँ	अशिक्षित महिलाएँ
30 प्रतिशत	20 प्रतिशत	40 प्रतिशत	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत
वर्तमान में विधि का संरक्षण महिलाओं के लिये काफी है इससे अधिक की अवश्यकता नहीं है।	काफी है।	विधि के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिये प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है व 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण का अधिकार की आवश्यकता है।	वर्तमान में शिक्षित महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण की आवश्यकता है।	इतने अधिकार हमारे पास हैं। उन्हीं को ठीक तरह से क्रियान्वयन किया जाये।

05. राजनैतिक संरक्षण एवं आरक्षण यदि विधानसभा और लोकसभा में दिया गया तो क्या सामाजिक परिवर्तन होंगे –

सीनियर सिटिजन	विवाहित महिलाएँ	अविवाहित लडके व लडकियां	शिक्षित महिलाएँ	अशिक्षित महिलाएँ
30 प्रतिशत	10 प्रतिशत	20 प्रतिशत	25 प्रतिशत	15 प्रतिशत
संरक्षण एवं आरक्षण एक सीमा तक आवश्यक है। महिला वर्ग स्वयं आगे बढकर कार्य करने की क्षमता रखती है, महिलाओं के कार्य व साहस पर रोक नहीं लगाना चाहिये।	महिलाओं का समाज में आधार है।	महिलाओं के सामाजिक स्तर में वृद्धि होगी।	संरक्षण व आरक्षण यदि विधानसभा को दिया जाता है तो इससे महिलाओं के बौद्धिक स्तर में वृद्धि होती है, तो यह आरक्षण देश को आगे बढानें में सहायक होता है।	संरक्षण व आरक्षण यदि विधानसभा व लोकसभा को दिया जाता है तो इससे महिलाओं मे देश के प्रति जागरूकता प्राप्त होती है।

आर्थिक क्षेत्र में भी यह अमूल्य परिवर्तन किया गया है यदि महिलाओं के नाम से संपत्ति का पंजीयन करवाया जाता है तो उन्हें 2 प्रतिशत की छूट होती है। इस प्रकार विधि के संरक्षण में मील के पत्थर के रूप में घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 का उल्लेख अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से महिलाओं को अथवा बालिकाओं को अपनें ही घर में अपने ही लोगों के दुर्व्यवहार को बचानें के लिये इस अधिनियम का निर्माण किया गया है।

वर्तमान संस्थानों में, कर्यालयों में महिला के कार्यस्थल पर यदि किसी भी प्रकार की अश्लील वारदात की जाती है तो उसे रोकने के लिये उच्च न्यायालय ने विशाखा बनाम स्टेट बैंक ऑफ राजस्थान 1997 में दिशा निर्देश दिये गये हैं जिनका पालन करना सभी संस्थाओं को अत्यंत आवश्यक है ताकि वह महिला निर्भिक रूप से कार्य कर सके।

निष्कर्ष –

वर्तमान शोध पत्र के माध्यम से हम यह स्थापित करना चाहते है कि विधि द्वारा महिलाओं को जो संरक्षण प्रदान किया गया है उसका समुचित उपयोग किया जाना चाहिये। देखा गया है कि विधि का संरक्षण पाकर कई स्थानों पर महिलाओं ने इसका दुरूपयोग करना प्रारंभ कर दिया है जो कि अवांछित है।

इसलिये इस संरक्षण को ढाल बनाकर अपने पर होने वाले अत्याचारों से बचाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये और पारिवारिक भूमि में अपने लिये निर्धारित दायित्वों का निर्वाह करते हुए विधि द्वारा दिये गये संरक्षण का लाभ लेना चाहिये। वर्तमान युग में महिलाओं को विधि संरक्षण पर सहमति प्राप्त है।